

प्रैस विज्ञप्ति

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत परिषद सिमित से सेवानिवृत सभी पेंशनर व फ़ैमली पेंशनर को इस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि विद्युत कंपनी ने अधिसूचना दिनांक 3/10/12 द्वारा अपने कर्मचारियों व पेंशनर तथा फ़ैमली पेंशनर को देय चिकित्सा भत्ता दिनांक 1-4-2012 से रू0 100/- प्रति मास से बढ़ा कर रू0 250/- प्रति मास कर दिया है।

विद्युत कंपनी के पेंशन व परिवार पेंशन प्राप्त कर्ता जो वर्तमान में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति (ओपन मैडीकल रियूम्बर्समेंट) प्राप्त कर रहे हैं, को अब अधिसूचना दिनांक 17/1/13 द्वारा निर्धारित चिकित्सा भत्ता (फिक्सड मैडीकल एलाउंस) प्राप्त करने हेतु अपना विकल्प (ऑप्शन) संशोधित करने की भी सुविधा प्रदान कर दी गई है।

अतः विद्युत कंपनी के सभी पेंशनर व परिवार पेंशन प्राप्त कर्ता जो चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति (ओपन मैडीकल रियूम्बर्समेंट) के बदले निर्धारित चिकित्सा भत्ता (फिक्सड मैडीकल एलाउंस) प्राप्त करना चाहते हैं, वे अपना परिशोधित विकल्प (रिवाइज़ड ऑप्शन) कंपनी के डी0 डी0 ओ0 जहाँ से वे वर्तमान में चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं, के कार्यालय में दिनांक 16/4/2013 तक सौंप दें। इस तिथि के पश्चात कोई विकल्प (ऑप्शन) मान्य नहीं होगा। ध्यान रहे, निर्धारित चिकित्सा भत्ता (फिक्सड मैडीकल एलाउंस) से चिकित्सा

234

Press Note

This is for the information of all Pensioners/ Family Pensioners of the H.P. State Electricity Board Ltd., that the Company has increased the amount of fixed medical allowance payable to its Employees/ Pensioners/ Family Pensioners from Rs. 100/- PM to Rs. 250/- PM w.e.f. 1-4-2012 vide notification dated 3/10/2012.

Now, vide notification dated 17/1/2013, it has also been ordered that Employees/ Pensioners/ Family Pensioners may re-exercise their option to draw fixed medical allowance @ Rs.250/- PM in lieu of the claim for Open Medical Reimbursement.

All the Pensioners/Family Pensioners who intends to change their option from open medical reimbursement to fixed medical allowance may submit their revised option for the purpose upto 16/4/2013 to the Drawing and Disbursing Authority of HPSEB Limited from where they are drawing open medical reimbursement. The revised options in this regard will not be entertained after the above date. This may also be noted that the request for change of option from fixed medical allowance to open medical reimbursement will not be entertained.

0-0-0-0